"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-2/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 09 अगस्त 2010 से 13 अगस्त 2010 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 07 एवं 08 अगस्त 2010 तथा अवकाश पश्चात् 14 एवं 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ-10-2/25-2/09/आजावि.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 60 में सम्मिलित "मोवार" के पश्चात् "मौवार" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक/एफ-10-14/25-2/10/आजावि.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 20 में सम्मिलित "धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक" के पश्चात् "बरेठ" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-26/2010/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 11 नियम, 2 (ज) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 11 एवं नियम, 14 के अधिकारों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अधिसूचना जारी करता है :—

"सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जो उप श्रमायुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, उपकर निर्धारण हेतु अपीलीय प्राधिकारी होगा"

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-27/2010/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 210 (1) (ज) (I) में "उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा या सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" अंतर्स्थापित किया जाता है.

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्रमांक/3104/बी 14/21/2003/14-2.— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, उक्त आदेश के अधीन अनुसूची के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	समस्त जिले के उप संचालक कृषि.	संबंधित जिला	कृषि फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.
2.	समस्त जिले के उप संचालक/ सहायक संचालक उद्यान.	संबंधित जिला	उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना.

No. 3104/B-14/21/2003/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (11) of Seed (Control) Order, 1983 issued under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby appoint the officer specified in column (2) in the schedule below as Licensing Officer to exercise the power within the jurisdiction as specified in column (3) and for the purpose as specified in column (4) of the said schedule under the said order, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Officer (2)	Jurisdiction (3)	Purposes (4)
1.	All Deputy Director of Agriculture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for Sell of Agriculture Crop Seeds.
2.	All Deputy Director/ Assistant Director, Horticulture of Districts.	Respective Districts	Issuing of License for Sell of Horticulture Crop Seeds.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

प्रकरण क्र. 02/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	खैरा खुर्द	3.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहपाड़ जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक 451/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 13 अ/82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 75/10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.52
231	0.29
233	0.05
234	0.08

(1)	(2)
235	0.10
236	0.27
237	0.15
238	0.26
232	0.68
240	0.02
योग 10	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शंकर नगर, प.ह.नं. 110
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.167 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1261/24, 1262/27, 1265/19, 1266/19, 1267/19, 1268/19, 1276/19	0.010
1236/2, 1270/2, 1273/2, 1275/2	0.006
1261/24, 1262/27, 1265/19, 1266/19, 1267/19, 1276/19	0.001
1236/7-8, 1270/7-8, 1273/7-8, 1275/7-8	0.142
1236/10, 1270/10, 1273/10, 1275/10	0.008
योग 25	0.167

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -शंकर नगर-कचना मार्ग कि.मी. 3/4 पर छोकरा नाला में निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 5/अ-82/वर्ष 2009-10/450.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-टेकारी, प.ह.नं. 68/40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
826	0.09
828	0.05
837	0.02
832/1	0.06

	(1)	(2)
	831/1	0.02
	836	0.21
	839	0.11
योग	07	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टेकारी अमेरी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) आरंग/अभनपुर मुख्यालय, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7662/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनेरी, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.171 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/12	0.122
	8/1	0.049
योग	2	0.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7663/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कासमसुर, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	210/1	0.097
	241/6	0.337
	189/2	0.016
योग	3	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7664/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांब
- (ग) नगर/ग्राम-घुघवा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.263 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	94/1	0.121
	29/1	0.142
योग	2	0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7665/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गिरगांव, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	289/1	0.032
	283/17	0.364
	286/1	0.101
योग	3	0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक/7667/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेलरगोंदी, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1402/1	0.020

	(1)	(2)
	1455	0.061
	1403	0.061
	1454	0.020
	1453	0.032
	1452	0.032
	1449/2	0.041
	1404	0.036
योग	8	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोहलई, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	24	0.041
योग	1	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- भण्डारसिवनी-चरकई मार्ग के कि.मी. 7/3 भंवरडीग नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक/12718/भू-अर्जन/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघीतराई, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-392.99 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/1	1.44

(1)	(2)	(1)	(2)
2/3	0.92	87	0.28
2/4	1.38	86/1 क, 86/2 ख	0.24
3/1	0.22	88/1	0.47
4/1	0.44	88/2	0.55
4/2	1.37	86/1 ख, 88/3	0.72
6	0.64	89/1	0.48
8	0.46	89/2	0.53
9/1	1.06	89/3	0.44
9/2	0.84	90/1	1.14
10/1	0.22	90/2	0.56
10/2	0.38	90/3	0.98
10/3	0.24	91/1 घ	0.50
10/4	0.24	91/1 ख	0.72
10/5	0.24	91/1 छ	0.26
10/6	0.24	91/1 च	0.37
10/7	0.58	91/1 ज	0.95
10/8	0.55	91/1 ग	0.07
11/1	0.53	91/2 ख	0.80
11/2	0.21	91/2 क	0.50
11/3	0.21	92/1 ख	0.50
11/4	0.45	92/1 क	0.09
11/5	0.83	92/2 ख	0.08
11/6	0.22	92/2 क	0.30
11/7	0.53	92/2 ग	0.22
11/8	0.53	93/1	1.70
11/9	0.22	93/2	0.54
11/10	0.22	93/3	0.10
11/11	0.72	94	0.64
11/12	0.28	95/1	0.37
11/13	0.35	95/2	1.04
11/14	0.15	96/1	1.29
11/15	0.68	97	0.62
11/17	0.19	98/1	1.93
11/19	0.19	98/2	0.16
11/20	0.20	98/3	1.12
69/4	0.60	98/4	1.54
78	0.30	99/2	0.38
79/1	0.37	100/1	0.85
79/2	0.28	100/2	0.40
79/3	0.40	100/5	0.30
81	0.70	100/7	0.26
82/1	0.52	101/1	2.80
82/2	0.42	101/2	0.40
84/1	0.48	102/1	0.42
84/2	0.76	102/2	0.13
86/3	0.78	102/3	0.23
86/2 क	0.28		

(1)	(2)	(1)	(2)
102/4	0.28	111/2	0.75
102/5	0.31	111/3	0.45
102/6	0.08	112/1 क	0.24
102/7	0.31	112/3	0.18
102/8	0.06	112/4	0.38
103/1	0.52	112/1 ख	0.20
103/2	0.68	112/2 ख	0.48
103/3	0.14	112/2 क	0.47
103/4	0.65	112/6	0.30
103/5	1.26	113	1.18
103/6	2.01	114/1	0.24
103/7	1.34	114/3	0.18
103/8	2.00	115/1	0.68
103/9	1.51	115/2	0.52
103/10	1.23	116/1	0.36
103/11	0.74	116/2	0.12
103/12	1.37	117/1	0.28
103/13	1.66	117/2	0.41
103/14	0.72	118/1	1.35
103/15	0.62	119/1	0.30
104/1	1.57	119/2	1.61
104/2	0.59	119/4.	0.19
104/3	0.59	120/1	0.26
105/1	0.30	120/2	0.29
105/2	0.30	121/1	0.74
106/1	2.45	121/2	0.38
106/2	0.84	122/1, 126/1, 127/1 क	0.92
106/3	0.24	122/2	0.52
106/4	0.50	123/2	0.85
106/5	1.39	123/4	0.88
106/6	0.38	123/5	0.55
106/7	0.94	124/1	0.35
106/8	0.38	124/2	0.35
106/9	0.21	124/3	0.17
106/10	0.73	124/4	0.28
106/11	0.48	128/1	0.38
106/12	1.15	128/2	0.25
107	0.76	132/1	0.38
108/1	0.24	132/2	0.38
108/2 ग	0.24	132/3	0.39
108/2 ख	0.29	132/4	0.38
108/2 क	0.43	139/2	0.94
109	1.17	139/3	0.50
110/1	0.20	140/2	0.14
110/2	0.35	142/1	0.42
110/3	0.40	142/2	0.43

(1)	(2)
143/2	0.30
144/1	0.50
144/2	0.50
144/3	0.32
144/4	0.32
186	0.90
187/3	0.08
187/4	0.09
187/5	0.12
190/1	0.16
190/3	0.16
190/4	0.16
190/5	0.16
190/8	0.07
190/10	0.07
190/11	0.07
190/12	0.08
190/14	0.08
190/15	0.08
191/1	0.10
191/2	0.10
191/3	0.10
191/4	0.10
191/5	0.20
192/2	0.27
192/4	0.62
193/3 घ	0.13
193/3 ख	0.04
192/3 क	0.05
192/3 ग	0.04
193/1	0.23
193/4	0.27
193/5	0.27
193/6	0.27
194/1	0.18
194/2	0.31
195	0.53
196	0.32
197/1	0.13
197/2	0.14
197/3	0.14
197/4	0.14
197/5	0.12
197/6	0.13
198/1	0.90
198/3	0.60
199/1	0.18
200/2 क	0.08
199/2	0.19
200/1 ख	0.04
200/1 छ	0.01
200/1 ग	0.05
200/2 ख	0.07
200/3 क	0.13
201	0.56
202	0.52
203/1	0.12
204/2	0.29
205/1	0.37
206/1	0.29
207/1	0.25
207/2	0.15
207/3	0.28
207/4	0.28
207/5	0.44
207/6	0.15
207/7	0.14
208	0.66
209/1, 210/1	0.10
209/2, 210/2	0.10
209/3, 210/3	0.17
209/4, 210/4	0.10
209/5, 210/5	0.10
209/6, 210/6	0.58
211/1	0.28
212	0.41
213/1	0.23
213/2	0.22
213/3	0.02
213/4	0.25
213/5	0.10
213/6	0.10
215	0.54
216	0.16
218/1	0.32
218/2	0.36
219/2	0.27
221/1	0.06
221/2	0.42
221/3	0.50
221/4	0.21
221/5	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
221/6	0.18	242/1	0.26
221/7	0.24	242/2	0.12
221/8	0.19	242/3	0.26
221/9	0.06	242/4	0.32
221/10	0.06	243/1	0.31
221/11	0.30	243/2	0.39
222/1	0.57	244	0.58
222/2	0.58	245/1	0.54
222/3	0.30	245/2	0.42
222/4	0.39	245/3	0.50
224/1	0.39	246/3	0.08
225/2	1.12	247	1.88
225/3	0.85	248/1	0.28
225/4	0.55	248/2	0.27
225/5	0.73	248/3	0.27
225/6	0.32	251/1	0.11
225/1 ख	0.15	251/2	0.40
225/1 क	0.15	253/2	0.64
225/1 ग	0.15	253/3	0.44
226/1	0.35	253/4	0.20
228	0.68	254/2	0.32
229/1	0.54	254/3	0.28
229/3	0.80	254/1 घ	0.04
229/6	0.40	254/1 ख	0.16
230	0.75	254/1 क	0.23
231/1	0.21	297	0.61
232	0.38	254/1 ग	0.17
233	1.66	255/2	0.08
234/1	0.17	256	0.18
234/2	0.42	257/1	0.19
234/3	0.16	257/2	0.19
235/1	0.36	258	0.40
235/2	0.71	259/1	0.30
235/3	0.35	259/2	0.35
235/4	0.35	259/3	1.00
235/5	0.37	259/4	0.65
236/1	0.20	259/5	0.25
236/2	0.15	259/6	0.25
236/3	0.30	259/7	0.20
236/4	0.30	261	0.82
236/5	0.48	262/1	0.10
237	1.07	262/2	0.10
238/1	0.28	263/1	0.18
238/2	0.63	263/2	0.18
238/3	0.32	264/1	0.28
240	2.05	264/2	0.27
		264/3	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
264/4	0.14	287/7	0.12
265/1	0.23	288/1	0.22
265/2	0.23	288/2	0.20
266/1 ख	0.09	288/3	0.41
266/1 क	0.10	289/1	0.34
266/2 ख	0.29	289/3	0.30
266/2 क	0.02	289/4	0.30
266/2 ग	0.15	289/5	0.30
267/1	0.84	290/1	0.27
268/1	1.00	290/2	0.62
268/2	0.33	290/3	0.62
269/1	0.79	291/2	0.52
269/2	0.37	291/3	0.62
269/3	0.93	291/7	0.28
269/4	0.39	292/2	0.22
271/2	0.95	294	0.41
272/1	0.80	295	0.75
272/2	0.47	296/1	0.27
272/3	0.74	296/2	0.27
272/4	3.41	298/1	0.42
273	0.58	298/2	0.70
274	0.12	299/1	0.12
275/1	0.26	299/2 ख	0.30
275/2	0.08	299/2 क	0.30
275/3	0.12	299/3 ख	0.31
275/4	0.12	299/3 क	0.44
276	0.52	300/1	0.90
277/1 ख	0.20	300/2	0.35
277/1 ग	0.21	300/3	0.14
279/1	0.50	300/4	0.25
279/2	0.45	301	1.36
279/3	0.56	302/1	0.25
281/1	0.86	303/1	0.60
281/2	0.15	305	0.50
281/3	0.36	307/2	1.36
281/4	0.36	308	2.18
282	0.64	309/1	0.56
283	0.41	309/2	0.40
284/1	0.32	309/3	1.95
284/2	0.28	309/5	0.97
284/3	0.31	310/3	0.14
286/3	0.29	311/1	0.02
287/2	0.12	311/2	0.75
287/3	0.47	311/3	0.24
287/4	0.36	311/4	0.48
287/6	0.33	311/5	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
311/6	0.19	318/10	0.52
311/7	0.18	318/11	0.25
311/8	0.24	319/1	0.13
311/9	0.17	319/2	0.42
312/1	0.22	319/3	0.68
312/2	0.74	319/4	0.72
312/3	1.15	319/5	0.79
313/1	1.04	319/6	0.53
313/2	1.46	319/7	0.62
314/1	0.24	319/8	0.46
314/2	0.33	319/9	0.42
314/3	0.21	320/1	1.59
314/5	0.15	321/1	0.57
314/6	0.18	322	0.84
314/7	0.24	325	0.14
314/8	0.66	326/1	0.64
314/9	0.33	326/2	0.22
315/1	0.36	327	0.40
315/2	0.51	328	0.50
315/3	2.08	329/1	0.31
315/4	0.62	329/2	0.24
315/5	0.25	329/3	0.02
316/1	0.34	330/1	0.44
316/2	0.20	330/2	0.44
316/3	0.30	331/1	0.43
316/4	0.52	331/2	0.58
316/5	0.53	334	0.10
316/6	0.48	335	0.32
316/7	0.33	336	0.28
316/8	0.33	337/1	0.82
316/9	0.32	337/2	0.18
316/10	0.35	337/3	0.23
316/11	0.66	338/1	0.07
316/12	0.20	338/2	1.20
317/1	1.21	338/3	0.60
317/2	0.56	339	0.25
317/3	0.64	340/1	0.58
317/4	0.64	340/2	1.04
317/5	0.28	341/1	0.07
317/6	0.76	341/2	0.07
318/2	0.62	341/3	0.07
318/3	0.57	341/4	0.20
318/4	0.50	241/5	0.06
318/5	0.46	241/6	0.06
318/7	0.60	241/7	0.06
318/8	0.94	342/1	0.15

(1)	(2)
343/1	0.17
343/2	0.18
344/1	0.24
344/2	0.07
344/3	0.08
344/4	0.39
345/1	1.14
345/2	0.82
345/3	0.15
346/1	0.66
346/2	0.77
346/3	0.46
346/4 घ	0.20
346/4 ख	0.19
346/4 क	0.20
346/4 ग	0.20
347/1	0.22
347/2	0.47
347/3	0.22
347/4	0.21
347/5	0.21
348	0.97
352/1	0.15
353/1	0.22
353/2	0.17
354/1	0.10
358/1	0.36
354/2 ख	0.11
354/2 क	0.11
355	0.14
356	0.42
358/2 क	0.17
358/2 ख	0.03
358/2 ङ	0.02
358/2 ग	0.03
358/3 ख	0.10
358/3 क	0.10
360/4	0.08
360/7	0.25
360/9	0.08
381/1	0.35
381/2	0.35
382/1	0.75
382/2	0.75
382/3	0.52
382/4	0.70
382/5	0.70
384/1	0.84
384/2	0.23
384/3	0.64
384/4	0.42
384/5	0.36
284/6	0.46
384/7	0.65
387/1	0.36
387/2	0.46
388/1	0.34
388/2	1.18
388/3	1.20
388/4	0.25
388/5	0.28
388/6	0.59
388/7	0.25
388/8	0.70
252/1	0.03
389/1	0.10
389/3	0.22
391/1	0.20
391/3	0.10
391/6	0.20
392/1	0.27
392/2	0.03
392/4	0.10
392/5	0.10
392/7	0.11
392/[illegible]	0.16
392/11	0.26
293/2	0.75
393/4	0.71
393/5	1.75
393/8	0.26
393/11	0.30
395/1	0.13
395/2	0.12
395/3	0.25
397/1	0.10
397/2	0.10
397/4	0.03
397/7	0.03
399	0.26
402	0.16
404/2	1.30

(1)	(2)	(1)	(2)
404/3	1.93	435/2	0.30
405/1	0.13	436/1	0.13
405/2	0.12	435/3	0.32
407/2	0.20	435/4	0.25
408/2	0.15	436/2	0.12
409/2 ख	0.07	435/6	0.36
409/2 क	0.23	435/7	0.21
409/2 ग	0.18	436/3	0.12
410/1	0.52	435/8	0.25
410/2	0.22	438	0.52
411/1	1.34	439/1	0.20
411/2	0.62	439/2	0.20
412/1	0.46	439/3	0.20
412/2	0.45	440	0.24
415/1	0.38	441	0.10
415/2	0.37	442	0.34
417/1	0.26	443/1	0.31
417/2	0.20	443/2	0.51
417/3	0.10	443/3	0.57
419/1	0.98	443/4	0.23
419/4	0.20	443/5	0.25
419/5	0.50	443/6	0.27
419/6	0.80	443/7	0.75
419/2 ख	0.20	444/1	0.36
419/2 क	0.10	444/3	0.29
419/2 ग	0.70	444/4	0.19
420/1	1.34	444/5	0.10
420/2	0.25	445/1	0.63
420/3	0.40	445/2	0.63
420/5	0.70	446/1	0.45
420/6	0.27	446/3	0.24
421/1	0.34	446/4	0.37
421/2	0.43	446/5	0.26
421/3	0.34	446/6	0.22
421/4	0.43	446/7	0.32
421/5	0.09	446/8	0.23
421/6	0.09	446/9	0.21
432/4	0.09	447/2	0.68
432/5	0.09	447/3	0.83
432/6	0.09	448/1	0.23
432/7	0.08	449/2	0.21
433/1	0.42	449/3	0.21
433/2	0.55	450/1 ख	0.52
433/3	0.20	450/2	1.98
434	0.10	451/2	0.30
435/1	0.57	451/5	0.18

(1)	(2)	(1)	(2)
452/1	1.19	503/5	0.06
452/2	0.56	503/8	0.17
453/2	0.11	504	0.46
453/3	0.46	505/8	0.20
453/4	0.10	505/9	0.20
453/5	0.17	506/2	0.26
453/6	0.19	506/3	0.60
456/1	0.85	506/4	0.25
456/4	0.47	507/1	0.25
456/5	0.35	507/3	0.25
467/4	0.36	508/1	0.47
467/5	0.58	508/2	0.64
467/6	0.64	509/2	0.45
467/7	0.45	510/1	0.16
467/8	0.59	510/3	0.03
469/1	0.03	510/4	0.56
470/1	0.25	510/5	0.03
470/2	0.25	510/6	0.36
470/3	0.25	510/7	0.30
471/1	0.51	513/1	0.32
471/2	0.60	513/2	0.36
471/3	1.20	513/3	0.75
472/1	0.04	513/4	0.21
473/1	0.08	513/5	0.36
473/2	0.43	513/6	0.67
475	0.47	513/7	0.67
476	0.30	514/1	0.21
477/2	0.12	514/2	0.27
477/3	0.13	514/3	0.12
478/2	0.04	515/4	0.30
478/3	0.07	515/1	0.38
478/4	0.26	515/2	0.28
479/1	0.83	516	0.19
480/1	0.78	517/1	0.45
480/2	0.19	517/2	0.45
480/3	0.18	519/1	0.04
481/1	0.54	519/2	0.60
481/2	0.52	519/3	0.50
502/1	0.28	520/1	0.59
502/3	0.15	520/2	0.05
502/4	0.15	520/3	0.06
502/5	0.15	520/4	0.06
502/6	0.20	521/1	0.21
502/7	0.25	521/2	0.45
503/2	0.90	521/3	0.21
503/3	0.10	521/4	0.22

(1)	(2)
521/5	0.22
522/1	0.13
522/2	0.13
522/3	0.27
523/1	0.23
523/2	0.23
523/3	0.23
523/4	0.23
524/1	0.26
524/2	0.26
524/3	0.25
524/4	0.25
525	0.70
526	0.68
527/2	0.38
527/1 घ	0.34
527/1 क	0.11
527/1 ख	0.11
527/1 ग	0.42
528	0.06
529	0.62
530	0.40
531/1	0.05
531/2	0.19
532	0.21
533/1	0.22
533/2	0.23
534	0.23
535/2	0.68
535/3	0.50
536	0.46
537/1	0.84
537/2	0.70
538/1	0.22
538/2	0.68
540/1	0.57
540/2	0.38
541/1	0.22
541/2	0.22
541/3	0.21
541/4	0.07
541/5	0.14
542	0.34
543/1	1.13
543/2	0.25
543/3	0.48

(1)	(2)
544/1	0.56
544/2	0.56
545/1	0.52
545/2	0.52
546/1	0.20
546/2	0.24
547	0.31
548/2	0.44
550/310	0.60
552/311	1.73
556/1/421	0.18
556/2 घ/421	0.08
556/2 ख/421	0.07
556/2 क/421	0.07
566/2 ग/421	0.08
127/1 ख	0.17
134	0.32
396/2	0.29
416/2	0.35
241/2	0.44
446/2	0.82
483/1, 484/1	0.56
479/2	1.14
386	0.13
390	0.68
400	0.08
404/1	1.00
416/1	0.16
214	0.25
227	0.95
278	2.26
293	0.19
332	0.22
351/1	1.48
409/1	0.96
437	0.27
539	0.36
270	0.24
288/4	0.35
467/1	1.00
474/11	0.26

	394/555
योग	919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

क्रमांक/12745/भू-अर्जन/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़ेकेरा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-229.04 एकड़

खसरा नम्बर	रक़बा (एकड़ में)
(1)	(2)
90/2	0.02
90/3	0.06
90/4	0.50
90/5	0.11
90/6	0.14
90/7	0.42
90/8	0.07
90/9	0.11
90/10	0.02
93	1.15
94	1.72
95/2	1.30
95/1 घ	0.42
95/1 ख	0.02
95/1 क	1.15
95/1 ग	0.50
95/1 छ	0.38
96/1	0.13
96/2	0.72
96/3	0.10
96/5	0.15
96/6	0.15
96/7	0.20
96/8	0.11
96/9	0.22
96/10	0.14
96/11	0.14
96/12	0.15
96/13	0.15
96/14	0.12
96/15	0.15
98	0.25
100	0.83
101/1	0.02
101/2	0.35
101/3	0.40
101/4	0.24
101/5	0.24
101/6	0.18
102	1.86
103	0.57
104	0.59
105	0.24
106/1	0.60
106/2	0.68
106/3	0.82
106/4	0.40
106/5	0.40
106/6	0.40
106/7	0.60
106/8	0.20
106/9	0.10
106/10	0.33
106/11	0.27
107/2	0.22
107/3	0.22
107/4	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
107	0.20	120/4	0.14
107	0.20	120/5	0.24
108	1.28	120/6	0.01
109	0.90	121	0.14
109[illegible]	1.00	122/1	0.73
109[illegible]	0.88	122/2	0.27
109[illegible]	0.60	123	0.83
109/[illegible]	0.20	124/1	0.13
109/6	0.18	124/2	0.30
109/7	0.72	124/3	0.17
109/8	0.60	125	0.18
109/9	0.10	126	0.57
109/10	0.40	127	1.35
109/11	0.40	128	1.16
109/12	0.20	129/1	0.06
109/13	0.40	129/2	0.20
109/14	0.53	129/3	0.14
109/15	0.10	129/4	0.14
109/16	0.62	129/5	0.14
109/17	0.60	130	0.29
109/18	0.20	132	2.12
110/1	0.22	151/1	0.50
110/2	0.10	151/2	0.25
110/3, 111/2	0.76	152/1	0.31
111/1	0.25	152/3	0.15
111/3 ख	0.20	152/4	0.15
111/3 क	0.20	153/1	0.42
112/1	0.76	153/2	0.05
112/2	0.15	153/3	0.25
112/3	0.09	154/1	0.44
114/1	1.22	154/2	0.44
114/2	0.30	155	1.44
114/3	0.41	297	0.25
114/4	0.31	298/3	0.15
114/5	0.41	298/5	0.30
114/6	0.40	298/6	0.41
114/7	0.93	298/7	0.50
115	0.18	298/1 ख	1.79
116	0.58	298/1 ग	0.36
117/1	0.73	299	0.60
117/2	0.52	300	0.82
117/3	0.55	301	0.44
117/4	1.40	306/1	0.17
118/3	0.23	307	0.88
119	0.77	308/1	0.35
120/3	0.14	308/2	0.62

(1)	(2)	(1)	(2)
308/3	0.35	321/5	1.21
308/4	0.14	322	0.36
308/5	0.22	323/1	0.06
309/1	0.85	323/2	0.12
309/2	0.84	324/1	0.90
310	0.32	324/2	0.60
311	0.30	324/3	0.21
312	0.26	324/4	0.95
313/1	0.34	324/5	0.60
313/2	0.08	325/1	0.30
313/3	0.11	325/2	1.23
313/4	0.20	325/3	0.15
313/5	0.10	326, 327/2, 282/4	0.45
313/6	0.30	328	0.30
313/7	0.34	329	0.84
313/8	0.30	330	1.05
313/9	0.71	331/1	2.34
313/10	0.26	331/2	0.55
313/11	0.26	331/3	0.70
314/1	0.10	331/4	0.55
314/2	0.09	333/1	2.26
314/3	0.14	333/2	2.26
314/4	0.21	335	0.23
314/5	0.25	336/1	0.38
314/6	0.24	336/2	1.35
314/7	0.21	336/3	0.22
315/1	0.23	336/4	0.20
315/2	0.24	336/5	0.19
315/3	0.15	336/6	0.38
315/4	0.18	336/7	0.11
316	0.44	336/8	0.30
317	0.43	336/9	0.19
318	0.43	336/10	0.30
319	0.43	336/11	0.11
320/1	0.26	336/12	0.30
320/2	3.44	337/1	0.55
320/3	0.12	337/2	0.25
320/4	0.15	337/3	0.25
320/5	0.35	338/1	0.47
320/6	0.25	338/2	0.47
320/7	0.24	338/3	0.46
320/8	0.50	339/1	1.05
320/9	0.15	339/2	0.55
320/10	0.14	340/2	0.15
321/2	0.21	340/1 घ	1.05
321/3	0.12	340/1 ख	0.45
321/4	0.08	340/1 ङ	0.20

(1)	(2)
340/1 क	1.00
340/1 छ	0.14
340/1 च	0.94
340/1 ग	0.25
341/1	0.11
341/2	0.22
341/3	0.80
342/1	0.35
342/2	0.25
342/3	0.06
342/4	0.40
342/5	0.07
342/6	0.06
342/7	0.07
343/1	0.47
343/2	0.51
343/3	0.50
344/1	0.16
344/2	0.32
344/3	1.35
344/4	0.25
344/5	0.15
344/6	0.20
344/8	0.75
344/9	0.08
344/10	0.20
344/12	0.36
344/13	0.25
344/14	0.22
344/15	0.13
344/16	0.20
344/18, 19, 20	1.23
344/21, 22, 23	0.36
344/24, 25, 26	0.61
344/7, 11, 17	1.01
345/1	0.78
346/2	1.45
346/3	0.26
346/4	0.27
346/5	0.26
346/1 घ	0.28
346/1 ख	0.62
346/1 ण	0.65
346/1 ढ	0.30
346/1 झ	0.25
346/1 ठ	0.92
346/1 क	0.20

(1)	(2)
346/1 थ	0.14
346/1 ड	0.92
346/1 छ	0.11
346/1 च	0.52
346/1 त	0.29
346/1 ज	0.39
346/1 ट	0.54
346/1 ग	0.30
346/1 ङ	0.26
415	0.12
348/1	0.41
318/2	0.47
349/1	0.90
349/2	0.21
349/3	0.21
349/4	0.21
349/5	22
350	3.42
351/1	0.36
351/2	0.65
351/3	0.06
352/1	0.10
352/2	0.09
352/3	0.25
352/4	0.22
353/1	0.18
353/2	0.12
353/3	0.64
353/4	0.12
354/1	0.71
354/2	0.52
354/3	1.16
354/4	0.90
354/5	0.36
354/6	0.29
355/1	1.73
355/2	0.33
355/3	0.17
355/4	0.45
355/5	0.45
356/1	0.45
356/2	0.50
357/1	0.40
357/2	0.52
357/3	1.38
357/4	0.30
357/5	1.11

(1)	(2)	(1)	(2)
357/6	0.78	364	2.87
357/7	1.40	365/1	0.30
357/8	0.40	365/2	0.30
357/10	1.34	365/3	0.30
357/11	0.60	365/4	0.21
357/12	0.38	365/5	0.35
357/13	0.27	365/6	0.10
357/14	0.65	365/7	0.20
357/15	0.55	365/8	0.20
357/16	0.78	365/9	0.20
357/17	2.47	365/10	0.20
357/18	0.27	365/11	0.20
357/19	1.00	366/1	1.76
357/20	0.64	366/2	0.30
357/21	0.30	366/3	0.82
357/22	0.24	366/4	0.37
357/23	0.15	366/5	0.08
357/24	1.40	366/6	0.58
357/25	0.48	367/1	0.38
357/26	0.37	368	0.46
357/27	0.71	369/1	0.30
357/28	0.20	369/2	0.74
357/29	0.37	369/3	0.68
358/1	0.10	370/1	0.51
358/2	1.00	370/2	0.20
358/3	0.47	370/3	0.20
358/4	0.39	371/1	0.24
359/1	0.74	371/2	0.20
359/2	0.23	372/1	0.27
359/3	0.23	372/2	0.49
360/1	0.72	373/1	0.52
360/2	0.12	373/2	0.25
360/3	0.12	373/3	0.30
360/4	0.12	373/4	0.11
360/5	0.13	373/5	0.11
361/1	1.01	373/6	0.20
361/2	1.23	373/7	0.19
361/3	0.63	374/2 क	0.60
361/4	0.61	374/2 ख	0.91
361/5	0.62	374/2 ग	0.92
362	1.03	374/3 घ	0.30
363/1	0.87	374/3 ङ	0.67
363/2	0.84	374/3 ख	0.90
363/3	0.89	374/1 घ	0.03
363/4	0.12	374/1 ख/1, 374/1 ङ/1	1.03
363/5	0.30	374/1 ख/2, 374/1 ङ/2	0.50

(1)	(2)
374/1 ख/3, 374/1 ङ/3	0.50
374/1 ख/4, 374/1 ङ/4	0.49
374/1 ख/5, 374/1 ङ/5	0.60
374/1 ढ	0.41
374/1 झ	0.55
374/1 ठ	0.36
374/1 क	0.64
374/1 छ	0.36
374/1 च	1.02
374/1 ज	0.80
374/1 ट	0.72
374/1 ब	0.41
374/3 क	0.33
374/3 ग	0.30
375	1.15
376/1	0.31
376/2	0.24
376/3	0.20
376/4	0.22
376/5	0.11
376/6	0.40
376/7	0.30
376/8	0.28
376/9	0.30
376/10	0.31
376/11	0.11
414/376	1.09
377/1	1.70
401	1.98
402/2	0.26
402/1 क	0.51
402/1 ख	0.44
402/1 ग	0.30
402/1 घ	0.50
402/1 ङ	0.11
402/1 च	0.46
402/1 छ	0.22
402/1 ज	0.32
406/2	0.45
406/3	2.52
407/1	0.54
407/2	0.03
407/3	0.12
408/1	0.80
408/2	0.20
409/154	0.15
410/154	0.22
416/1/356	0.33
416/2/356	0.32
419/329	0.15
282/3	0.08
योग 480	229.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th September 2010

No. 647/Confdl./2010/II-2-1/2010.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions

Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Reshamlal Kurre, Additional District & Sessions Judge.	Jashpur	Kunkuri	Jashpur	Additional District & Sessions Judge, Jashpur at Kunkuri.

Bilaspur, the 9th September 2010

No. 5986/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260. of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sr. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of Posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Om Prakash Jaiswal, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
2.	Shri Agam Kumar Kashyap, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
3.	Shri Sanjay Agrawal, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
4.	Shri Digvijay Singh, Judicial Magistrate First Class.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.